न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 23 / 2021 GCMS No.—2021/39

1. प्रहलाद पुत्र स्व. रोडूराम जाति बागडा ब्राहमण
2. ग्यारसी लाल पुत्र रोडूराम जाति बागडा ब्राहमण
3. दामोदर प्रसाद पुत्र रोडूराम जाति बागडा ब्राहमण
4. लाली देवी पत्नी बिरदीचंद पुत्र जाति बागडा ब्राहमण
5. लोकेश पुत्र स्व. बिरदीचंद पुत्र जाति बागडा ब्राहमण
6. दीपक कुमार पुत्र स्व. बिरदीचन्द
   निवासीयान– गाम नानकपुरा उर्फ हेमा की नांगल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. पप्पू पुत्र स्व. हरिनारायण जाति बागडा ब्राह्मण
8. शम्भू पुत्र स्व. हरिनारायण जाति बागडा ब्राह्मण
9. श्योजी पुत्र स्व. हरिनारायण जाति बागडा ब्राह्मण
10. जगदीश पुत्र लच्छीराम, जाति बागडा ब्राह्मण
11. रामस्वरूप पुत्र लच्छीराम, जाति बागडा ब्राह्मण
12. गोपाल पुत्र लच्छीराम, जाति बागडा ब्राह्मण
    निवासीयान ग्राम नानकपुरा उर्फ हेमा की नांगल तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. गोगा पुत्र मंगला, जाति बागडा ब्राह्मण
2. काना पुत्र मंगला, जाति बागडा ब्राह्मण
   निवासीयान ग्राम मलवा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 01.04.2021 तहसीलदार महोदय तहसील सांगानेर, जिला जयपुर नामान्तकरण संख्या 141 दिनांक 05.04.2021 स्वीकार किया के विरूद्ध अपील।

———————

उपस्थितः–

1. श्री अमित दुसाद अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री दिनेश पारीक अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 की ओर से।
3. श्री भगवान सहाय शर्मा अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 2 की ओर से।
4. श्री प्रहलाद रावत अधिवक्ता (पैरोकार सरकार) रेस्पा0 संख्या 3 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 03.12.2021

अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार, सांगानेर के निर्णय दिनांक 01.04.2021 जिससे दिनांक 05.04.2021 को नामान्तरकरण संख्या 141 ग्राम नानकपुरा उर्फ हेमा की नांगल, तहसील सांगनेर स्थित कृषि भूमि कुल किता 11 कुल रकबा 1.76 है0 का नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट नं 1 लगायत 2 के नाम खोले जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.04.2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–1 की ओर से श्री दिनेश पारीक अधिवक्ता एवं रेस्पा0 संख्या 2 की ओर से श्री भगवान सहाय शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। रेस्पाडेन्ट संख्या–3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सांगानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2021 नामान्तकरण संख्या 141 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अपीलांट्स के पूर्वज रोडूराम पुत्र मोहना एवं हरिनारायण पुत्र लछीराम एवं अपीलांट्स 10 लगा0 12 ने एक राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय सहायक कलक्टर चाकसू कैम्प कोर्ट सांगानेर में रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ता 3 एवं उपपंजयीक महोदय सांगानेर के विरूद्व दिनांक 12.09.1988 को प्रस्तुत किया था। उक्त दावा न्यायालय सहायक कलक्टर चाकसू द्वारा दिनांक 27.01.1990 को निर्णय पारित कर डिक्री किया गया। न्यायालय सहायक कलक्टर चाकसू के आदेश दिनांक 27.01.1990 के विरूद्व रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 ने राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो दिनांक 29.09.1994 को खारिज फरमा दी गई तत्पश्चात रेस्पा0 ने राजस्व मंडल राज0 अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी, जिसे दिनांक 15.11.1994 को एडमिशन स्टेज पर ही खारिज फरमा दिया गया। तत्पश्चात रेस्पा0 ने राजस्व मण्डल राज. अजमेर के समक्ष निर्णय दिनांक 15.11.1994 के विरूद्व नजरसानी याचिका संख्या 75/95 प्रस्तुत की जिसे दिनांक 16.09.1996 को नोट प्रेस कर खारिज करवा लिया। रेस्पा संख्या 2 ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की जिस पर माननीय राज. उच्च न्यायालय ने राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 15.11.1994 एवं निर्णय दिनांक 29.09.1994 को निरस्त कर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर को प्रकरण रिमाण्ड किया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने दिनांक 16.11.2002 को अपील संख्या 31/2002 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर चाकसू के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.1990 को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर को प्रतिप्रेषित किया। जिसके विरूद्व अपीलांट्स ने अपील माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में प्रस्तुत की जिसे राजस्व मंडल द्वारा दिनांक 18.11.2008 को निर्णय पारित कर अपीलांट्स की अपील खारिज की गयी। जिसके विरूद्व अपीलांट्स ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन संख्या 14317/2008 प्रस्तुत की जिस पर माननीय राज. उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.09.2009 को रिट पिटीशन को खारिज फरमा दिया। अपीलांट्स ने माननीय राज. उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 262/2009 प्रस्तुत की, जिस पर अपीलांट्स की डी.बी. सिविल स्पेशल

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

अपील माननीय न्यायालय ने दिनांक 30.08.2011 को खारिज कर दी। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के समक्ष पुनः दर्ज हुआ जो अंतरित होकर वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी दक्षिण जयपुर के समक्ष विचाराधीन है। रेस्पाडेन्ट्स संख्या 1 व 2 द्वारा उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर के समक्ष धारा 144 सी.पी.सी. का राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन संबंध में प्रस्तुत किया जिसका अपीलांट्स ने जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण के समक्ष लम्बित है न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने के संबंध में कोई आदेश अभी तक पारित नहीं किया है इसके बावजूद रेस्पा. संख्या 3 तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपीलांट्स को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पा. संख्या 1 व 2 के हक में तस्दीक कर दिया। अपीलांट्स के वाद को किसी भी न्यायालय ने खारिज नहीं किया है बल्कि प्रकरण को पुनः सुनने के लिए प्रतिप्रेषित किया गया था ऐसी स्थिति में जब प्रकरण से संबंधित आराजीयात का राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण के समक्ष विचाराधीन है अपीलाधीन नामान्तकरण नियमविरूद्व जाकर तस्दीक किया है। रेस्पा0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी में तहसीलदार सांगानेर को भी पक्षकार बनाया गया है एवं उक्त वाद एवं स्थगन आदेश के संबंध में तहसीलदार सांगानेर को भी जानकारी थी। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 141 दिनांक 05.04.2021 को निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस रेस्पाडेन्ट संख्या–एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 16.11.2002 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर चाकसू कैम्प कोर्ट सांगानेर के निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 27.01.1990 निरस्त किया गया जिसके विरूद्व अपीलांट्स द्वारा माननीय न्यायालयों में अपील एवं रिट पेश की गयी। माननीय न्यायालयो द्वारा अपीलांट्स अपील एवं रिट खारिज की गयी है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 16.11.2002 की पालना में न्यायालय सहायक कलक्टर चाकसू के निर्णय दिनांक 27.01.1990 के पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति बहाल रखने हेतु राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी रेस्पा0 संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 01.04.2021 को पारित किये एवं साथ ही तहसीलदार सांगानेर द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 01.04.2021 उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर के विचाराधीन वाद संख्या 78/2010 के निर्णयाध्यधीन रहने के आदेश पारित किये है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है। अपीलांट व रेस्पा0 के हक अधिकार ए.सी.ई.एम सांगानेर में विचाराधीन दावे में तय होगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पा0 द्वारा अपने कथन के संदर्भ में न्यायिक दृष्टान्त

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

RRT.2003(1) shaitan singh & ors vs chhitar, RRD 14.09.2019 Lalu ram vs Lali & ors., 2020 RBJ 333 Supreme court of india, 2017(1) RRT 364, 2005(2) RRT 774 आदि पेश किये जो शामिल मिसल किये गये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 2 ने अधिवक्ता रेस्पा. संख्या 1 के कथनों पर सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया कि तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण के संबंध में आदेश दिनांक 01.04.2021 को पारित किया गया जिसे आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय को चुनौती नहीं दी गयी है। इसलिए अपील खारिज किये जाने योग्य है, अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासत के आधार पर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ल. 2 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मुताबिक न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के अपील संख्या 31/2002 के निर्णय दिनांक 16.11.2002 की पालना में विवादित भूमि के पूर्व में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 14, 17, 6 के खारिज होने के पश्चात पूर्व की स्थिति में खातेदारो/काश्तकारों के नाम नामन्तकरण तस्दीक किया गया है। नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपील संख्या 31/2002 में दिनांक 16.11.2002 को पारित निर्णय अनुसार रेस्पा0 की अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय सहायक कलक्टर चाकसू के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.1990 निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सांगानेर को प्रतिप्रेषित किया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 16.11.2002 के विरूद्व अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान एवं माननीय उच्च न्यायालय राज0 में अपील/रिट याचिका पेश की गयी, जिन्हे माननीय न्यायालयो द्वारा खारिज कर दिया गया। वर्तमान में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के आदेश की पालना में पक्षकारान के मध्य घोषणा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण में विचाराधीन है। उक्त तथ्यो को अपीलांट द्वारा अपील मीमो में भी जाहिर किया है। रेस्पा. द्वारा तहसीलदार सांगानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 16.11.2002 की पालना हेतु पेश किया। माननीय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 16.11.2002 द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर चाकसू के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.1990 को निरस्त किया गया। तहसीलदार सांगानेर द्वारा रेस्पा0 के प्रार्थना पत्र पर आगे कार्यवाही करते हुए सहायक कलक्टर चाकसू कैम्प सांगानेर के निर्णय दिनांक 27.01.1990 के आधार पर अपीलाधीन भूमि के संबंध तस्दीक नामान्तकरण संख्या 14 दिनांक 29.03.1990, एवं

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

नामा0 संख्या 17 दिनांक 24.05.1990 एवं नामा. संख्या 6 दिनांक 26.02.1996 को खारिज करते हुए न्यायालय सहायक कलक्टर चाकसू के निर्णय दिनांक 27.01.1990 के पूर्व की स्थिति अपीलाधीन भूमि के संबंध में बहाल रखने के आदेश दिनांक 01.04.2021 को पारित किये। जिसके आधार पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा रेस्पाडेन्ट्स संख्या 1 व 2 के हक में अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 05.04.2021 को तस्दीक किया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट के हक, हकूक अधिकार किसी प्रकार से है तो भी अधिकारों की घोषणा नियमित वाद में ही की जा सकती है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर में विचाराधीन वाद संख्या 78/2010 (हाल विचाराधीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दक्षिण) के निर्णयाध्याधीन रखते हुए तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन भूमि पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं होने के कारण अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है जो न्यायोचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर अपने हक अधिकार के बिन्दु पर कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है एवं अपने हक अधिकार के संबंध में वाद विचाराधीन होना जाहिर किया है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर